



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(7)पंरावि/प्रशा.1/आरआरडीएस-13/संस्था/2017/3101 जयपुर, दिनांक 22.12.17

**-: आदेश :-**

विभागीय आदेश क्रमांक 2564 दिनांक 3.11.17 के द्वारा सुश्री सुशीला परिवीक्षाधीन अधिकारी, राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा (बैच-2013) को दिनांक 22.12.2017 तक जिला परिषद अलवर में फील्ड प्रशिक्षण के लिये लगाया गया था। उक्त बैच का संस्थानिक प्रशिक्षण दिनांक 26.12.2017 से प्रारंभ हो रहा है।

अतः सुश्री सुशीला, परिवीक्षाधीन अधिकारी, राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 26.12.2017 को अपनी उपस्थिति संस्थानिक प्रशिक्षण हेतु महानिदेशक, इन्दिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान को प्रस्तुत करें।

  
(इकबाल खन्ना)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान जयपुर।
2. महानिदेशक, इन्दिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि सुश्री सुशीला को भी राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा (बैच-2013) के आगामी संस्थानिक प्रशिक्षण में सम्मिलित करने का श्रम करावें।
3. अतिरिक्त निदेशक, उप निदेशक (प्रशासन), हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, इन्दिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, राजस्थान जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर।
6. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर।
7. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
8. आदेश पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)